न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
नीलम कंवर बनमा महावीर आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 25/2024
सीआईएस नंबर–25/2024

दिनांकः–31.01.2025

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री ग्यारसीलाल गुर्जर व अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सुरोलिया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से शपथ पत्र व दस्तावेज पेश किये गये, शामिल पत्रावली रहे। इस आदेश द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि. 2005 में धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश पारित किया जा रहा है। बहस अंतरिम भरण पोषण भत्ता अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम गत पेशी पर उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी संख्य 01 के साथ दिनांक 13.07.2013 को हिन्दू रीति रिवाज से मौजा ग्राम भोजाला की ढाणी तन बडाउ थाना खेतडीनगर में सम्पन्न हुआ था। विवाह में प्रार्थीया के परिजनो ने अप्रार्थीगण की मांग के अनुसार दान दहेज दिया था जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के कब्जे में है। विवाह के पश्चात प्रार्थीया जब अपने ससुराल गई तो अप्रार्थीगण ने एक लाख रूपये व एक मोटरसाईकिल नहीं देने बाबत प्रार्थीया को ताने दिये। दिनांक 27.10.2014 को प्रार्थीया के एक पुत्री प्रिंशा राठौड का जन्म हुआ। सन् 2018 में प्रार्थीया को मारपीट कर घर से निकाल दिया। जुलाई 2019 में समझाने पर प्रार्थीया को ले गये। तत्पश्चात दहेज की मांग को लेकर अगस्त 2019 में पुनः मारपीट कर धक्के देकर घर से बाह निकाल दिया। इसके पश्चात से प्रार्थीया अपने पिता के घर बेहद दयनीय हालत में जीवन यापन कर रही है। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है व वह कोई हुनर नहीं जानती है। अप्रार्थी संख्या 01 सिलाई का कार्य करता है जिससे वह 35000 रूपये प्रतिमाह कमाता है तथा उसके पास 40 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें सालाना करीब 10 लाख रूपये से अधिक पैदावार होती है। अंत में प्रार्थीया को उसके स्वयं के व उसकी पुत्री के भरण पोषण बाबत 25,000/–रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी से बतौर अंतरिम भरण पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

जिसका खंडन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 का विवाह होना स्वीकार है। विवाह में अप्रार्थीगण द्वारा

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
नीलम कंवर बनमा महावीर आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 25/2024
सीआईएस नंबर–25/2024

कोई मांग नहीं की गई व विवाह बिना दान दहेज के सादगीपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ था व प्रार्थीया का स्त्रीधन व आभूषण वह अपने साथ ले गई जो उसी के पास है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री होना स्वीकार है। प्रार्थीया क्रूर स्वभाव की महिला है जो बिना वजह अप्रार्थी व उसके परिवार से झगडा करती तथा अप्रार्थीगण को झूठे मुकदमें फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती। प्रार्थीया ने बिना युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 दिहाडी मजदूर है तथा उसके वृद्ध माता पिता भी उसी पर आश्रित है। अतः प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मारपीट करना एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को दहेज के रूप में 1,00,000/– रूपये नकद व मोटरसाईकिल की मांग आदि करना व तंग परेशान करने के कथन किए है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का कथन है कि प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर मारपीट व तंग परेशान नहीं किया गया तथा प्रार्थीया बिना युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग कर रखा है। इसलिए कोई भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

इस संबंध में न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया नीलम कंवर व अप्रार्थी संख्या 1 महावीर के मध्य विवाह होना उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत है तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 498ए, 406 आईपीसी की आपराधिक कार्यवाही पुलिस थाना खेतडीनगर में दर्ज करवाया जाना प्रकट है। क्या प्रार्थीया द्वारा बिना पर्याप्त कारण के अप्रार्थी संख्या 1 का परित्याग किया हुआ है या प्रार्थिया अपने भरण पोषण हेतु सक्षम है व अप्रार्थी संख्या 1 की आय क्या है, यह तथ्य बाद साक्ष्य ही मूल पत्रावली के निस्तारण के समय तय किये जा सकते हैं। परंतु इस स्तर पर न्यायालय के विनम्र मत में इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपनी विवाहिता पत्नी व उसके बच्चो के भरण–पोषण करने की नैतिक व विधिक जिम्मेदारी उसके पति पर ही है। स्वीकृत रूप से उभय पक्षकारान वर्तमान में पृथक–पृथक रह रहे हैं एवं प्रार्थिया ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उसके पास कोई आय का साधन नहीं है।

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं राज0
नीलम कंवर बनमा महावीर आदि
मुत0 फौजदारी प्रकरण सं0 25/2024
सीआईएस नंबर–25/2024

चूंकि प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की विवाहिता पत्नी होना स्वीकृत स्थित है। अतः इस स्तर पर अप्रार्थी संख्या 1 महावीर से प्रार्थिया को अंतरिम भरण–पोषण राशि दिलाया जाना न्यायोचित है।

अतः इस स्तर पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में प्रार्थीया के पास स्वयं के भरण–पोषण का कोई साधन नहीं होने के कारण व उभय पक्षकारान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थीया को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

अतः अप्रार्थी संख्या 1 महावीर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीया नीलम कंवर को मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम भरण पोषण बाबत् रूपये 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) प्रतिमाह प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक अदा करेगा। अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीया को यह राशि या तो नकद अदा करे या उसके बचत बैंक खाते में जमा करावे। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 08.01.2024 से प्रभावी रहेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक.....को पेश हो।